उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: \ /xxvii(7)30(5)/2013
देहरादून, दिनांक 16 सितम्बर, 2013

G.O. 700
Dt 16. sept 13

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3, नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या– 395/XXVII(7)/2009 दिनांक 24–12–2009 एवं शासनादेश संख्या–551/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 06 जून, 2013 द्वारा किया गया था। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	वाहन का नाम	वर्तमान दर प्रतिमाह (रू0)	संशोधित दर प्रतिमाह (रू0)
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	1000/–	2700/–
2	मोटर साईकिल/स्कूटर	450/–	1200/–
3	मोपेड	200/–	550/–
4	साईकिल	75/–	200/–

1– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 मार्च, 2000 के अनुसार ही रहेगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।

3– उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

I.T
UP Road ...
27.01.18
EE

संख्या 700 (1)/XXVII(7)30(6)2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।